

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30/03/2017

संख्या-3/विविध- 01-11/2017- 156(3) /स्वा0, डा0 रितु वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अस्थावों, नालंदा को उच्चतर शिक्षा, पी0जी0 कोर्स, पी0एम0सी0एच0, पटना में निम्न शर्तों के साथ नामंकन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अध्ययन अवकाश में वेतन देय नहीं होगा ।
2. अध्ययन समाप्ति के पश्चात डा0 रितु वर्मा राज्य सरकार के अधीन कम से कम तीन वर्षों की सेवा अनिवार्य रूप से देंगी ।
3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-3/विविध- 01-11/2017- 156(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 30/03/2017

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, पटना/सिविल सर्जन, नालंदा/जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, हिलसा/प्रभारी पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अस्थावों, नालंदा/डा0 रितु वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अस्थावों, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सिविल सर्जन, नालंदा को निदेश दिया जाता है कि डा0 वर्मा को अविलम्ब नामांकन हेतु विरमित करें ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 8, 9 एवं 10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव